सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
सांडवा

28/11/22 पत्रावली पेश हुई । पीठासीन अधिकारी दीगर कार्यों मे व्यस्त है, मिसल इस्तवा होकर पत्रावली पूर्व आदेशिकानुसार आईन्दा दिनांक 30/01/23 को पेश हो।

15/12/22 पत्रावली पेश हुई। वकीलद्वयगण सहित प्रार्थीगण स्वयं उप. चुके मूलवाद के जरिये राजीनामा पहले कर दिया गया है। इसलिये उक्त आवेदन के आगे चलाने की कोई औचित्य नहीं है। इस आवेदन की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त [illegible] की पूर्व में इस न्यायालय द्वारा जारी स्थगन आदेश दिनांक 28/10/22 को [illegible] किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। मूलवाद के साथ संलग्न हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramji Bhai Kalbi
Date: 2023.04.06 10:18:14 IST
Reason: SelfAttested